राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
NABARD
उत्पादन ऋण विभाग
Production Credit Department

प्लॉट सं सी - 24 | Plot No. C-24,
ब्लॉक - जी | Block - G
पो बै न 8121 | Post Bag No. 8121
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स | Bandra-Kurla Complex
मुंबई - 400 051 | Mumbai - 400 051.
फोन नं 26524836 फैक्स नं 26530085
e-mail : pcd@nabard.org

सं.सं.रा.बैं.उ.ऋ.वि-केसीसी/ 2082 /केसीसी-1/2011-12
29 मार्च 2012

परिपत्र सं.रा.बैं. 71/ उ.ऋ.वि- 04 /2012

1) अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2) प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

किसान क्रेडिट कार्ड योजना - संशोधित योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा करने और [illegible] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट और संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं. भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों के आधार पर बैंकों को परिचालनात्मक मार्गनिर्देश जारी किए जा रहे हैं. मार्गनिर्देशों की मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- फसली ऋण सीमा का आकलन फसल के लिए वित्तमान [illegible] X फसली क्षेत्र की सीमा + फसल कटाई के बाद/घरेलू/उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण सीमा का 10% + फार्म आस्ति रखरखाव खर्चों के लिए 20% के आधार पर किया जाएगा
- सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सामान्य आकलन के साथ फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 05 वर्ष
- फसली ऋणों के लिए अलग से मार्जिन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मार्जिन वित्तमान में शामिल है.

क्रमशः

- खाते से कोई आहरण 12 माह से अधिक समय के लिए बकाया नहीं रहेगा, किसी भी समय खाते में नामे राशि को शून्य करने की आवश्यकता नहीं.
- समय से भुगतान के लिए ब्याज सहायता/प्रोत्साहन भारत सरकार तथा/अथवा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध होगा.
- ₹ 3.00 लाख की सीमा तक प्रोसेसिंग फीस नहीं.
- पहली बार आहरण करते समय एक मुश्त प्रलेखन और उसके बाद किसान द्वारा सामान्य घोषणा (उगाई गई/प्रस्तावित फसलों के संबंध में).
- किसानों के दो अलग-अलग खातों के स्थान पर केसीसी सह बचत खाता. केसीसी सह बचत खाते में जमा शेष राशि पर बचत बैंक खाते की दर पर ब्याज मिलेगा.
- आईसीटी चालित चैनलों जैसे एटीएम/पीओएस/मोबाइल हैंडसेट सहित विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना और केसीसी सीमा आंकलन के उदाहरण संलग्न हैं (अनुबंध)

सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि समयबद्ध रूप से योजना के कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्य नीतियां बनाएं.

भवदीय

वी. रामकृष्ण राव

(वी रामकृष्ण राव)
कार्यपालक निदेशक

संलग्नक : यथोक्त

पृष्ठांकन सं.एनबी.पीसीडी.- केसीसी/2082 (ए)/ केसीसी.1/2011-12 तद दिनांक

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली.
2. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.
4. सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली.
5. सचिव, सहकारिता विभाग, सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश.
6. सचिव, ग्रामीण विकास, सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश.
7. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश.
8. निदेशक (संस्थागत वित्त), सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश.
9. अध्यक्ष, नेफसकोब, वाशी, नवी, मुम्बई.
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली.
11. प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ.
12. निदेशक, बर्ड, लखनऊ.
13. प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे.
14. प्रधानाचार्य, आरटीसी, नाबार्ड, बोलपुर/ मैंगलोर.
15. प्रधानाचार्य, एनबीटीसी, लखनऊ.
16. प्रधानाचार्य, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद.
17. मुमप्र/मप्र/ प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय और श्रीनगर कक्ष.
18. मुमप्र, प्रधान कार्यालय के सभी विभाग, मुंबई.
19. उप महाप्रबंधक, सभी प्रभाग, पीसीडी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय , मुंबई.
20. अध्यक्ष के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.
21. सभी कार्यपालक निदेशकों के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.
22. मुख्य महा प्रबंधक, कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन विभाग नाबार्ड, प्रका, मुंबई.

31/12/60 [signature]

(यू. के. मोहन्ती)
महा प्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
3, नेहरु प्लेस, टोंक रोड, पो.बैग नं .104, जयपुर - 302 015
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
3, Nehru Place, Tonk Road, P.B.No. 104, Jaipur- 302015,
Ph. Nos. (0141) 2743215, 2741633, 2743290 FAX: (0141) 2742161
E-mail : jaipur@nabard.org

संदर्भ संख्या रा.बै.राक्षेका / पीसीडी /970-76 / पीसीडी-1(10) / 2012-13 दिनांक : 14 मई, 2012

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रबंध निदेशक
दि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि.

महोदय

किसान क्रेडिट कार्ड योजना - संशोधित योजना

कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र संख्या NB.71/PCD 04/2011-12 दिनांक 29 मार्च 2012 का संदर्भ लें जिसके साथ दिशानिर्देशों का अंग्रेजी संस्करण आपको ई-मेल दारा प्रेषित की जा चुकी है।दिशा निर्देशों का हिन्दी संस्करण जो आपको सम्बोधित हैं, आपकी जानकारी और आवश्यक कार्यवाई हेतु आपको प्रेषित कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि संशोधित निर्देशों का अपनी सम्बर्नधित बैंक शाखाओं व ग्राम सहकारी समितियों में प्रचार व अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भ व दी य

(धर्मेन्द्र सिंह)
सहायक महाप्रबंधक

संलग्न – यथोक्त

अनुबंध

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की संशोधित योजना

1. प्रस्तावना

किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय से और बिना किसी झंझट के पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण वितरण प्रणाली के रूप में उभरा है. यह योजना पूरे देश में विस्तृत संस्थागत ऋण ढांचे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसमें वाणिज्य बैंक, क्षेत्रा बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं और इसे बैंकरों तथा किसानों ने व्यापक रूप से अपनाया है. तथापि, कार्यान्वयन के पिछले 13 वर्षों के दौरान नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वाले बैंकों और किसानों के समक्ष इस योजना के कार्यान्वयन में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं. भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की संस्तुतियों और नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है. अत: यह आवश्यक समझा गया कि किसानों और बैंकरों दोनों के लिए इस योजना को वास्तव में सरल और झंझट मुक्त बनाने के लिए वर्तमान केसीसी याजना की समीक्षा की जाए. तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने केसीसी योजना की समीक्षा के लिए एक कार्यदल का गठन किया. भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं :

2. योजना का प्रयोजन

आगे के पैराग्राफों में दी गई संशोधित केसीसी योजना का कार्यान्वयन वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रा बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा किया जाना है. यह योजना बैंकों को केसीसी योजना लागू करने के लिए मोटे तौर पर दिशानिर्देश देती है. कार्यान्वयन करने वाले बैंकों को अपनी संस्था/ स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार योजना को अंगीकार करने की छूट है.

3. उद्देश्य/ लक्ष्य

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए जिनका विवरण नीचे दिया गया है, बैंकिंग प्रणाली से एकल विंडो के तहत पर्याप्त और समय से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है.

क. फसलों को उगाने के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना
ख. फसल कटाई के बाद के खर्चों को पूरा करना
ग. उत्पाद विपणन ऋण उपलब्ध कराना
घ. किसान के परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करना
ङ कृषि आस्तियों के रखरखाव और कृषि की अनुषंगी गतिविधियों जैसे दुधारू पशुपालन, आंतर स्थलीय मत्स्यपालन आदि के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना.
च. कृषि और पंपसेटों, स्प्रैयरों, दुधारू पशुपालन आदि जैसी अनुषंगी गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना

नोट : उपर्युक्त (क) से (ङ) तक के घटकों की समग्र राशि अल्पावधि ऋण सीमा का हिस्सा होगी और चार घटक की समग्र राशि दीर्घावधि ऋण सीमा का हिस्सा होगी.

4. पात्रता

i. सभी किसान - व्यक्तिश:/ संयुक्त ऋणकर्ता जो मालिक कृषक हैं
ii. टेनेंट किसान, मौखिक पट्टाधारक और बटाईदार
iii. टेनेंट किसानों, बटाईदारों आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह

5. **ऋण सीमा/ ऋण राशि का निर्धारण**

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा का निर्धारण निम्नवत् किया जाए :

5.1 सीमांत किसानों के अलावा सभी किसानः

5.1.1 पहले वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण सीमा की गणना : वर्ष में एक फसल उगाने वाले किसानों के लिए: फसल के लिए वित्तमान (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा यथा निर्णीत) X कृषि क्षेत्र + 10% सीमा फसल कटाई के बाद / घरेलू / उपभोग आवश्यकताओं के लिए + 20% सीमा कृषि आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव खर्चों के लिए + फसल बीमा, पीएआईएस एवं आस्ति बीमा.

5.1.2 दूसरे और उसके बाद के वर्ष के लिए सीमा : उपर्युक्त के अनुसार फसल उगाने के उद्देश्य के लिए पहले वर्ष हेतु निर्धारित सीमा तथा आगामी हर वर्ष के लिए मूल्यवद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए 10% (2 रे, 3 रे, 4 थे और 5 वें वर्ष) और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि अर्थात 5 वर्ष के लिए अनुमानित सावधि ऋण घटक **(उदाहरण I)**

5.1.3 वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने वाले किसानों के लिए उपर्युक्त के अनुसार सीमा निर्धारित की जानी है जो पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित फसल पद्धति के अनुसार उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होंगी और आगामी हर वर्ष के लिए मूल्यवद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए 10% (2 रे, 3 रे, 4 थे और 5 वें वर्ष) 10% अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी. यह माना गया है कि किसान शेष 4 वर्षों के लिए वही फसल पद्धति अपनाता है. बाद के वर्षों में किसान द्वारा अपनाई गई फसल पद्धति में परिवर्तन के मामले में सीमा की गणना पुन: की जाए **(उदाहरण I)**

5.1.4 भूमि विकास, लधु सिंचाई, कृषि यंत्रों की खरीद और कृषि से अनुषंगी गतिविधियों के में **निवेश के लिए सावधि ऋण.** बैंक किसान द्वारा खरीदी जाने वाली प्रस्तावित आस्तियों की कीमत फार्म में की जा रही अनुषंगी गतिविधियों, अदायगी क्षमता के संबंध में बैंक के निर्णय के साथ-साथ वर्तमान ऋण देयताओं सहित किसान के कुल ऋण भार के आधार पर कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए सावधि एवं कार्यशील पूँजी सीमा निर्धारित कर सकते हैं.

5.1.5 दीर्घावधि ऋण सीमा 5 वर्ष की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेशों और बैंक द्वारा किसान की अदायगी क्षमता की अवधारणा पर आधारित है.

5.1.6 अधिकतम अनुमन्य सीमा पांचवें वर्ष के लिए परिगणित अल्पावधि ऋण सीमा और अनुमानित दीर्घावधि ऋण आवश्यकताएं मिलाकर अधिकतम अनुमन्य सीमा (एमपीएल) होगी और इसे किसान क्रेडिट कार्ड सीमा माना जाएगा.

5.1.7 सीमांत किसानों को छोड़कर अन्य के लिए उप-सीमाओं का निर्धारणः

i. अल्पावधि और सावधि ऋण विभिन्न ब्याज दरों से नियंत्रित हैं. इसके साथ ही वर्तमान समय में अल्पावधि फसली ऋण ब्याज सहायता योजना / समय पर भुगतान प्रोत्साहन योजना में शामिल हैं. पुनश्च, अल्पावधि और सावधि ऋणों की अदायगी अनुसूची और मानदंड अलग-अलग हैं. अत: परिचालन और लेखांकन सुविधा के लिए कार्ड की सीमा को अल्पावधि नकद ऋण सीमा-सह- बचत खाता और सावधि ऋण की उप-सीमाओं में अलग-अलग बांटा जाना है.

ii. **अल्पावधि नकद ऋण में आहरण** की सीमा फसल पद्धति के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और फसल उगाने, कृषि आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव तथा उपभोग की धन राशि किसान की सुविधा के अनुसार आहरित करने की अनुमति होनी चाहिए. किसी वर्ष जिला स्तरीय समिति द्वारा वित्तमान के संशोधन में सांकेतिम वृद्धि 10% से अधिक होने के मामले में 5वर्ष के लिए सीमा निर्धारित करते समय आहरण योग्य संशोधित सीमा निर्धारित की जाए और किसान को इसकी सूचना दी जाए. यदि संशोधन के ऐसे मामलों में कार्ड की सीमा को ही बढ़ाने की आवश्यकता होती है (4 थे और 5 वें वर्ष)

तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए और किसान को सूचित किया जाना चाहिए. सावधि ऋणों के लिए निवेश का प्रकार और प्रस्तावित निवेश की आर्थिक लाइफ के अनुसार बनाई गई अदायगी अनुसूची के आधार पर किस्तों के आहरण की अनुमति होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी समय कुल देयता संबंधित वर्ष की आहरण सीमा के अंतर्गत रहनी चाहिए.

iii. जहां भी इस तरह निर्धारित कार्ड सीमा देयता के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की आवश्यकता है वहां बैंक अपनी नीति के अनुसार समुचित कोलेटरल ले सकते हैं.

5.2 सीमांत किसानों के लिए :

भूस्वामित्व और फसल कटाई के बाद वेयरहाउस स्टोरेज संबंधी ऋण आवश्यकताओं और अन्य कृषि खर्चों, उपभोग आवश्यकताओं आदि सहित भूस्वामित्व और उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर रु.10000/- से रु.50000/- तक की लचीली सीमा (**फैक्सी केसीसी**) उपलब्ध कराई जानी है. यह सीमा भूमि की मालियत से न जोड़ते हुए कृषि यंत्र खरीदने, मिनी डेरी/ बैकयार्ड पोल्ट्री की स्थापना जैसे निवेशों के लिए छोटे सावधि ऋणों को मिलाकर शाखा प्रबंधक के आकलन के आधार पर निर्धारित की जाएगी. इस आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए कम्पोजिट केसीसी सीमा निर्धारित की जाएगी. जहां कहीं भी फसल पद्धति में परिवर्तन और / अथवा वित्तमान के कारण अधिक सीमा की आवश्यकता है वहां ऊपर पैरा 5.1 में दिए गए आकलन के अनुसार सीमा निर्धारित की जा सकती है. (**उदाहरण II**)

6. वितरण:

6.1 किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का अल्पावधि घटक चक्रीय नकद ऋण सुविधा के रूप में है. इसके तहत नामे और जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. तथापि, आहरण करने योग्य प्रत्येक किस्त के लिए किसी वर्ष विशेष में आहरित सीमा की अदायगी 12 माह के अंदर करनी होगी. चालू मौसम/ वर्ष की आहरण सीमा के लिए निम्नलिखित किसी भी डिलिवरी चैनल का उपयोग कर आहरण की अनुमति दी जा सकती है.

क. शाखा के माध्यम से परिचालन
ख. चेक सुविधा का उपयोग करके परिचालन
ग. एटीएम / डेबिट कार्ड द्वारा आहरण
घ. व्यवसाय करेस्पांडेन्ट्स और अल्ट्रा थिन शाखाओं के माध्यम से परिचालन
ङ चीनि मिलों / कांट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों आदि में उपलब्ध पीओएस के माध्यम से विशेष रूप से टाइअप अग्रिमों के लिए
च. निविष्ट डीलरों के पास उपलब्ध पीओएस के माध्यम से परिचालन
छ. कृषि निविष्टि डीलरों और मंडियों में मोबाइल आधारित अंतरण लेन-देन

टिप्पणी : (ङ), (च) और (छ) की शुरूआत शीघ्रतिशीघ्र की जानी चाहिए जिससे बैंक और किसान दोनों की लेन-देन लागत कम की जा सकती है.

6.2 निवेश उद्देश्यों के लिए दीर्घावधि ऋणों से निर्धारित किस्तों के अनुसार आहरण किया जा सकता है.

7. चूँकि नकदी ऋण सीमा और सावधि ऋण सीमा समग्र कार्ड सीमा के दो अलग-अलग घटक हैं जिनकी ब्याज दर और अदायगी अवधि अलग-अलग है, इसलिए जब तक उचित सॉफ्टवेयर वाला ऐसा

iii. नॉन-टाई-अप के संबंध में रु.1.00 लाख से ऊपर और टाई-अप के मामलों में रु.3.00 लाख से ऊपर की ऋण सीमाओं के लिए बैंक के विवेकानुसार संपार्श्विक प्रतिभूति ली जा सकती है.

iv. जिन राज्यों में बैंकों को भू-अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार सृजित करने की सुविधा है वहां इसे सुनिश्चित करना होगा.

13. अन्य विशेषताएं:

निम्नलिखित के संबंध में एकरूपता रखी जाए :

i. भारत सरकार और / अथवा राज्य सरकार द्वारा यथासूचित ब्याज सहायता / समय से भुगतान हेतु प्रोत्साहन. बैंकर किसानों को इस सुविधा की जानकारी देंगे.

ii. किसान क्रेडिट कार्ड धारक को फसल बीमा, आस्ति बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) और स्वास्थ्य बीमा (जहां भी यह उत्पाद उपलब्ध है और केसीसी खाते के माध्यम से प्रीमियम अदा किया गया है) का लाभ लेने का विकल्प होगा. आवश्यक प्रीमियम का भुगतान बैंक और किसान के बीच बनी सहमति के अनुपात में केसीसी खाते से बीमा कंपनियों को करना होगा. उपलब्ध बीमा आवरण की जानकारी लाभार्थी किसान को होनी चाहिए और आवेदन के समय ही उनकी सहमति ली जानी है.

iii. पहली बार ऋण सीमा का उपयोग करते समय एक बार प्रलेखन और दूसरे वर्ष तथा उससे आगे किसान द्वारा साधारण घोषणा (उगाई/ प्रस्तावित फसलों के संबंध में).

iv. रु.3.00 लाख तक की कार्ड सीमा पर प्रोसेसिंग फीज़ नहीं ली जानी चाहिए.

v. किसानों को केसीसी अल्पावधि उप-सीमा-सह-बचत बैंक खाता उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे केसीसी -सह-बचत बैंक खाते में शेष राशि बनी रहे और उस पर बचत बैंक दर पर ब्याज मिलता रहे. जब तक उचित सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के माध्यम से दोनों उप-सीमाएं एक में नहीं मिला दी जाती तब तक दीर्घावधि उप-सीमा के लिए अलग से फोलियो रखने की आवश्यकता है.

14. अनर्जक आस्ति के रूप में खाते का वर्गीकरण :

14.1. आस्ति वर्गीकरण को सरल बनाने के लिए समिति ने संस्तुति दी है कि किसी खाते को "मानक" माना जाएगा जब पिछले वर्ष किसी भी समय पर उसमें बकाया राशि (अल्पावधि (फसली) ऋण) आहरण सीमा से कम अथवा उसके बराबर है. दूसरे शब्दों में यह सुझाव है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मंजूर अल्पावधि ऋण (प्रमुख घटक फसली ऋण के साथ) को विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के उद्देश्य से "नकदी ऋण" के समान माना जा सकता है और इसको "आउट ऑफ आर्डर" नहीं माना जाना चाहिए कि यदि बकाया राशि आहरण सीमा से कम अथवा उसके बराबर है तथा प्रत्येक आहरण की चुकौती 12 माह की अवधि के अंदर की गई है. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सावधि ऋण की चुकौती अनुसूची निर्धारित है और यह वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों से नियंत्रित होगा.

14.2. अग्रिमों पर लागू ब्याज समान रूप से प्रभारित किया जाना चाहिए.

उदाहरण I

अ. वर्ष में बहुविधि फसलें उगाने वाले लघु कृषक

1. अवधारणा :

अ. भूस्वामित्व : 2 एकड़

आ. फसल पद्धति : धान - 1 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़ : रु.11000)
गन्ना- 1 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़ : रु.22000)

इ. निवेश/ अनुषंगी गतिविधियां

(i) पहले वर्ष 1+ 1 डेरी इकाई की स्थापना (इकाई लागत : रु.20000 प्रति पशु)

(ii) तीसरे वर्ष में पंप सेट बदलना (इकाई लागत : रु.30000)

2. (i) फसल ऋण घटक

धान - 1 एकड़ और गन्ना- 1 एकड़ की कृषि लागत

(11,000 + 22,000)	: रु.33,000
जोड़े : 10% फसल कटाई बाद / घरेलू खर्चों / उपभोग के लिए	: रु. 3,300
जोड़े : 20% कृषि क्षेत्र रखरखाव	: रु. 6,600
पहले वर्ष के लिए कुल फसली ऋण सीमा	**: रु.42,900**

दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए	
(42900 का 10% अर्थात 4300)	: रु. 4,300
	: रु.47,200

तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए	
(47200 का 10% अर्थात 4700)	: रु. 4,700
	: रु.51,900

चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए	
(51900 का 10% अर्थात 5200)	: रु. 5,200
	: रु.57,100

पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए	
(57100 का 10% अर्थात 5700)	**: रु. 5,700**
	: रु.62,800

अर्थात् रु.**63,000/-**...(अ)

(ii) सावधि ऋण घटक

पहले वर्ष : डेरी यूनिट 1 + 1 की लागत	: रु.40,000
तीसरे वर्ष : पंप सेट बदलना	: रु.30,000

कुल सावधि ऋण : रु.70,000(ब)

अधिकतम स्वीकार्य सीमा / किसान क्रेडिट कार्ड सीमा (अ)+ (ब) : रु.1,33,000
रु.1.33 लाख

टिप्पणी :

लिए गए सावधि ऋण (ऋणों) की अदायगी अनुसूची के आधार पर प्रत्येक वर्ष आहरण सीमा कम होती जाएगी और आहरण सीमा तक आहरण की अनुमति होगी.

आ. वर्ष के दौरान मल्टिपल फसलें उगाने वाले अन्य किसान

1. अवधारणा :
2. भूस्वामित्व : 10 एकड़
3. फसल पद्धति :
   धान - 5 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़ : रु.11000)
   उसके बाद मूँगफली - 5 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़: रु.10000)
   गन्ना- 5 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़ : रु.22000)

4. निवेश/ अनुषंगी गतिविधियां

(i) पहले वर्ष 2+ 2 डेरी इकाई की स्थापना (इकाई लागत : रु.10000)
(ii) पहले वर्ष ट्रैक्टर खरीदना (इकाई लागत : रु.60000)

कार्ड सीमा का आकलन

2.

(i) फसल ऋण घटक

धान - 5 एकड़, मूँगफली - 5 एकड़ और गन्ना- 5 एकड़ की कृषि लागत	: रु.2,15,000
जोड़े : 10% फसल कटाई बाद / घरेलू खर्चों / उपभोग के लिए	: रु. 21,500
जोड़े : 20% कृषि क्षेत्र रखरखाव	: रु. 43,000
पहले वर्ष के लिए कुल फसली ऋण सीमा	**: रु.2,79,500**

दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए	: रु. 27,950
(2,79,500 का 10% अर्थात 27,950)	**: रु.3,07,450**

तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए
(3,07,450 का 10% अर्थात 30750) : रु. 30,750

: रु.3,38,200

चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए
(3,38,200 का 10% अर्थात 33800) : रु. 33,800

: रु.3,72,000

पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा

जोड़े : 10% मूल वृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए
(3,72,000 का 10% अर्थात 37200) : रु. 37200

: रु.4,09,200
अर्थात् रु.4,09,000..(अ)

(ii) सावधि ऋण घटक

पहले वर्ष : डेरी यूनिट 2 + 2 की लागत : रु.1,00,000
ट्रैक्टर की खरीद : रु.6,00,000

कुल सावधि ऋण : **रु.7,00,000**(ब)

अधिकतम स्वीकार्य सीमा / किसान क्रेडिट कार्ड सीमा (अ)+ (ब) : रु.11,09,000 रु.11.09 लाख

टिप्पणी :

लिए गए सावधि ऋण (ऋणों) की अदायगी अनुसूची के आधार पर प्रत्येक वर्ष आहरण सीमा कम होती जाएगी और आहरण सीमा तक आहरण की अनुमति होगी.

उदाहरण II

केसीसी सीमा की अवधारणा

1. वर्ष में एक फसल उगाने वाले सीमांत किसान

1. अवधारणा :

1. भूस्वामित्व : 1 एकड़
2. उगाई जाने वाली फसल :धान - 1 एकड़ (वित्तमान तथा फसल बीमा प्रति एकड़ : रु.11000)

पांचवां वर्ष :

फसल ऋण घटक :

अ 4 में मूल्यवृद्धि / वित्तमान में वृद्धि के लिए फसली ऋण सीमा (अ 4) का 10% जोड़ें

(19030+(19030 का 10%= 1900) : रु.20,930... अ 5

पांचवें वर्ष के लिए कुल संमिश्र केसीसी सीमा : अ 5 + ब (20930 + 15000) : रु.35,930

अर्थात् रु.36,000

अधिकतम स्वीकार्य सीमा / किसान क्रेडिट कार्ड सीमा : रु.36000

टिप्पणी : ऊपर दिए गए सभी लागत अनुमान निदर्शनात्मक हैं. ऋण सीमा को अंतिम रूप देते समय संस्तुत वित्तमान / इकाई लागत को ध्यान में रखा जाए.

भाग II - डिलिवरी चैनल्स- तकनीकी विशेषताएं

1. कार्ड जारी करना

केसीसी खाता बचत-सह-ऋण खाता होगा और योजना के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा (बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड जिसका उपयोग एटीएम / हैण्ड हेल्ड स्वाइप मशीनों में किया जा सके और जिसमें किसान की पहचान, आस्तियों, भूस्वामित्व और ऋण प्रोफाइल आदि सूचनाएं रखने की पर्याप्त स्टोरिंग क्षमता हो). सभी केसीसी धारकों को निम्नलिखित प्रकार के कार्डों से कोई एक अथवा कम्बिनेशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

2. कार्ड का प्रकार :

सभी बैंकों के एटीएम और माइक्रो एटीएम में उपयोग की सुविधा के लिए पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) के साथ आईएसओआईआईएन (इन्टरनैशनल स्टैन्डर्ड ऑर्गनाइजेशन इन्टरनैशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) सहित मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड.

ऐसे मामलों में जहां बैंक यूआईडीएआई (आधार आइडेंटिफिकेशन) के केन्द्रीकृत बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं वहां मैग्नेटिक स्ट्रिप और पिन तथा आईएसओआईआईएन सहित डेबिट कार्ड.

बैंक के ग्राहक आधार के अनुसार मैग्नेटिक स्ट्रिप सहित डेबिट कार्ड और केवल बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन भी उपलब्ध कराया जा सकता है. ऐसे समय तक जब तक यूआईडीएआई व्यापक हो पाता है, तब तक यदि बैंक चाहें तो अपने वर्तमान केन्द्रीकृत बायोमैट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए बिना इंटर ऑपरेटिबिलिटी के शुरूआत कर सकते हैं. बैंक ऐसा कर सकते हैं.

बैंक मैग्नेटिक स्ट्रिप और आईएसओआईआईएन सहित ईएमवी (यूरोपे, मास्टर कार्ड और विजा, इन्टेग्रेटेड सर्किट कार्डों के इंटर ऑपरेशन के लिए ग्लोबल स्टैन्डर्ड) कम्प्लायंट चिप कार्ड भी चुन सकते हैं.

पुनश्च, बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन और स्मार्ट कार्डों में आइडीआरबीटी और आईबीए द्वारा निर्धारित कॉमन ओपन स्टैन्डर्डस् को अपनाया जाना चाहिए. इससे वे निविष्टि डिलरों के साथ निर्बंध रूप से लेनदेन कर सकेंगे तथा जब वे अपने उत्पाद मंडियों, प्रापण केन्द्रों आदि पर बेचेंगे तो बिक्री से प्राप्त धनराशि को अपने खाते में जमा कर सकेंगे.

सभी सहकारी बैंक सीबीएस प्लैटफार्म पर शीघ्रातिशीघ्र चले जाएंगे जिससे वे ऊपर दिए गए प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों को केसीसी में अपना सकें. जहां भी बैंक में सीबीएस नहीं हैं वहां कुछ समय के लिए पासबुक अथवा क्रेडिट कार्ड -सह-पासबुक जारी की जाएगी जिसमें नाम, पता, भूसमित्व का विवरण, ऋण सीमा, वैधता अवधि आदि इंगित किया जाएगा जिससे पहचान पत्र के साथ-साथ निरंतर आधार पर लेन-देन को रिकार्ड करने की सुविधा होगी. कार्ड में अन्य बातों के साथ-साथ धारक का फोटोग्राफ भी होगा.

3. डिलिवरी चैनल्स :

शुरूआत में निम्नलिखित डिलिवरी चैनल्स होंगे जिससे किसान अपने केसीसी खाते में प्रभावी रूप से लेन-देन करते हुए अपने किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकेंगे :

1. एटीएम/ माइक्रो एटीएम से आहरण
2. स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके बीसी के माध्यम से आहरण
3. निविष्टि डीलरों के माध्यम से पीओएस मशीन का उपयोग
4. आइएमपीएस क्षमताओं / आईवीआर सहित मोबाइल बैंकिंग
5. आधार इनेबल्ड कार्ड

4. मोबाइल बैंकिंग/ अन्य चैनल

केसीसी कार्डों/ खातों के लिए मोबाइल बैंकिंग फंक्शनेलिटी उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस (एनपीसीआई का आईएमपीएस) क्षमता उपलब्ध कराना जिससे ग्राहक बैंकों के बीच निधियों के अंतरण के लिए इस इंटर ऑपरेबल आईएमपीएस का उपयोग कर सकें और कृषि निविष्टियों की खरीद के लिए अतिरिक्त क्षमता के रूप में मर्चेंट भुगतानों के संबंध में लेनदेन भी कर सकें.

यह मोबाइल बैंकिंग व्यापक और सुरक्षित स्वीकार्यता के लिए आदर्श रूप में अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी डेटा (यूएसएसडी) प्लैटफार्म पर होनी चाहिए. फिर भी बैंक हाल ही में लेनदेन सीमा में दी गई छूट का उपयोग करने के लिए इसे अन्य पूर्णतया इन्क्रिप्टेड मोड्स (आवेदन आधारित अथवा एसएमएस आधारित) के लिए भी उपलब्ध करा सकते हैं. बैंक लेनदेन सीमा पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेग्यूलेशनों के तहत अनइन्स्क्रिप्टेड मोबाइल बैंकिंग भी उपलब्ध करा सकते हैं. यह आवश्यक है कि केसीसी में मोबाइल आधारित लेनदेन को सुगम बनाने वाले ट्रान्जेक्शन प्लैटफार्म में यूज ईजी टू यूज एसएमएस आधारित सोल्यूशन्स होने चाहिए जो एमपीआईएन के माध्यम से ऑथेन्टिकेशन करने में सक्षम हों. इन सोल्यूशन्स को आईवीआर पर स्थानीय भाषाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस प्रकार की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली को जागरूकता बढ़ाकर और ग्राहक शिक्षण के माध्यम से सभी बैंकों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

सुलभ संदर्भ के लिए केसीसी सीमाओं हेतु इस प्रकार की मोबाइल आधारित लेनदेन प्रणाली का फ्लोचार्ट संलग्न है.

बैंकों में उपलब्ध वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ सभी केसीसी धारकों को निम्नलिखित प्रकार का कोई एक कार्ड अथवा कार्डों का कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराया जा सकता है.

- डेबिट कार्ड (पीआईएन सहित मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड) जिससे किसान अपनी सीमा का उपयोग सभी बैंकों के एटीएम / माइक्रो एटीएम से कर सकें
- मैग्नेटिक स्ट्रिप और बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सहित डेबिट कार्ड
- बिजिनेस करेस्पोंडेंट्स, निविष्ट डीलरों, व्यापारियों और मंडियों में उपलब्ध पीओएस मशीनों के माध्यम से लेनदेन करने के लिए स्मार्ट कार्ड
- मैग्नेटिक स्ट्रिप और आईएसओआईएनएन सहित ईवीएम कम्प्लायंट चिप कार्ड

इसके अलावा जिन बैंकों में काल सेंटर / इंटरएक्टिव वाइस रेस्पोंस (आईवीआर) है वे आईवीआर के माध्यम से मोबाइल पिन (एमपीआईएन) के सत्यापन के लिए बैंक से कॉलबैक सुविधा सहित एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध कराएं. इस प्रकार कार्ड धारकों को सुरक्षित एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.